Regional Office (South)
Rajasthan State Pollution Control Board
8/263, Malviya Nagar, Jaipur 302017
Phone: 0141-4068311, e-mail: ro.jaipursouth@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

F.No. RPCB/ROJP/S/Leg-51/ 787 Date: 19/7/24

To,

The Register General
National Green Tribunal
Centeral Zonal Bench,
Bhopal-462011 (M.P.)

Sub:- Report of Joint committee constituted In O.A. No. 125/2024 (Cz) In the matter of Namita Choudhary V/S State of Rajasthan & Others order Dated 21.05.2024 passed by Hon'ble Tribunal.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 21.05.2024.

Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith Factual cum Status Report in O.A. No.125024 (CZ) in the matter Namita Choudhary V/s State of Rajasthan & Others order Dated 21.05.2024 passed by Hon'ble Tribunal. Submitted for kind consideration please.

Yours Sincerely,

Encl:- As above (31 Pages)

(Neeraj Sharma)
Nodal Officer

INSPECTION REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN O.A. NO. 125/2024 (CZ) IN THE MATTER OF NAMITA CHOUDHARY V/S STATE OF RAJASTHAN & OTHERS ORDER DATED 21.05.2024 PASSED BY HON'BLE NGT, CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to pass order dated 21.05.2024 and constituted a Joint Committee consisting:-

   i. ***One representative from the District Collector, Jaipur.***

   ii. ***One Representative from Rajasthan State Pollution Control Board.***

   Hon'ble Tribunal directed the aforesaid Committee to visit the place and submit the Factual and Action taken report within in six weeks.The State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and logistic support.

2. That in pursuance to Order dated 21.05.2024 District Collector, Jaipur appointed ADM, Jaipur City (North) and State Pollution Control Board appointed Regional Officer, Jaipur (South).A copy of the orders are submitted herewith and marked as **Annexure-1**.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर (उत्तर)

(2)

3. That, thereafter,it has been decided that a Joint Inspection should be held by the Joint Committee and concerned departments as under:-

i. ***Additional District Magistrate, Jaipur City (North).***

ii. ***Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (South).***

iii. ***Junior Engineer, Nagar Nigam, Jaipur (Greater).***

In pursuance to aforesaid decision, a Joint Inspection was held on 02.07.2024. Prior to aforesaid Joint Inspection proper acknowledgement/information had been given to the applicant Smt. Namita Choudhary and Sh. D.P. Chiraniya through Mobile. It is further submitted that, thereafter,a Joint Inspection was held on 02.07.2024 in presence of complainant and it was observed that proposed site for Mobile Tower was located at 40 ft. wide road and there was no Mobile Tower found installed; no civil / mechanical work started at the site; sewerage line was found intact and no municipal solid waste found stored. The Committee also took photographs of the

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर (उत्तर) जयपुर

site inspection which are annexed along with Joint Inspection Report. A copy of the Joint Inspection Report dated 02.07.2024 along with Photographs is submitted herewith and marked as **Annexure-2**.

4. That a permission was issued on 21.08.2023 by Nagar Nigam, Jaipur Heritage to install mobile tower. A copy of the permission dated 21.08.2023 is submitted herewith and marked as **Annexure-3**.

5. That a complaint lodged by Mohalla Suraksha Samiti was registered and discussed in District Level Telecom Committee (DLTC) on 24.04.2024 and same has been disposed. A copy of the Minutes of Meeting (MOM) dated 01.05.2024 is submitted herewith and marked as **Annexure-4**.

Joint Inspection Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Alka Bishnoi)
Add. District Magistrate,
Jaipur City (North)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर (उत्तर) जयपुर

(Neeraj Sharma)
(Regional Officer)
R.S.P.C.B., Jaipur
(South)

(Neeraj Sharma)
Regional Officer, RSPCB
Jaipur (South)

5

3

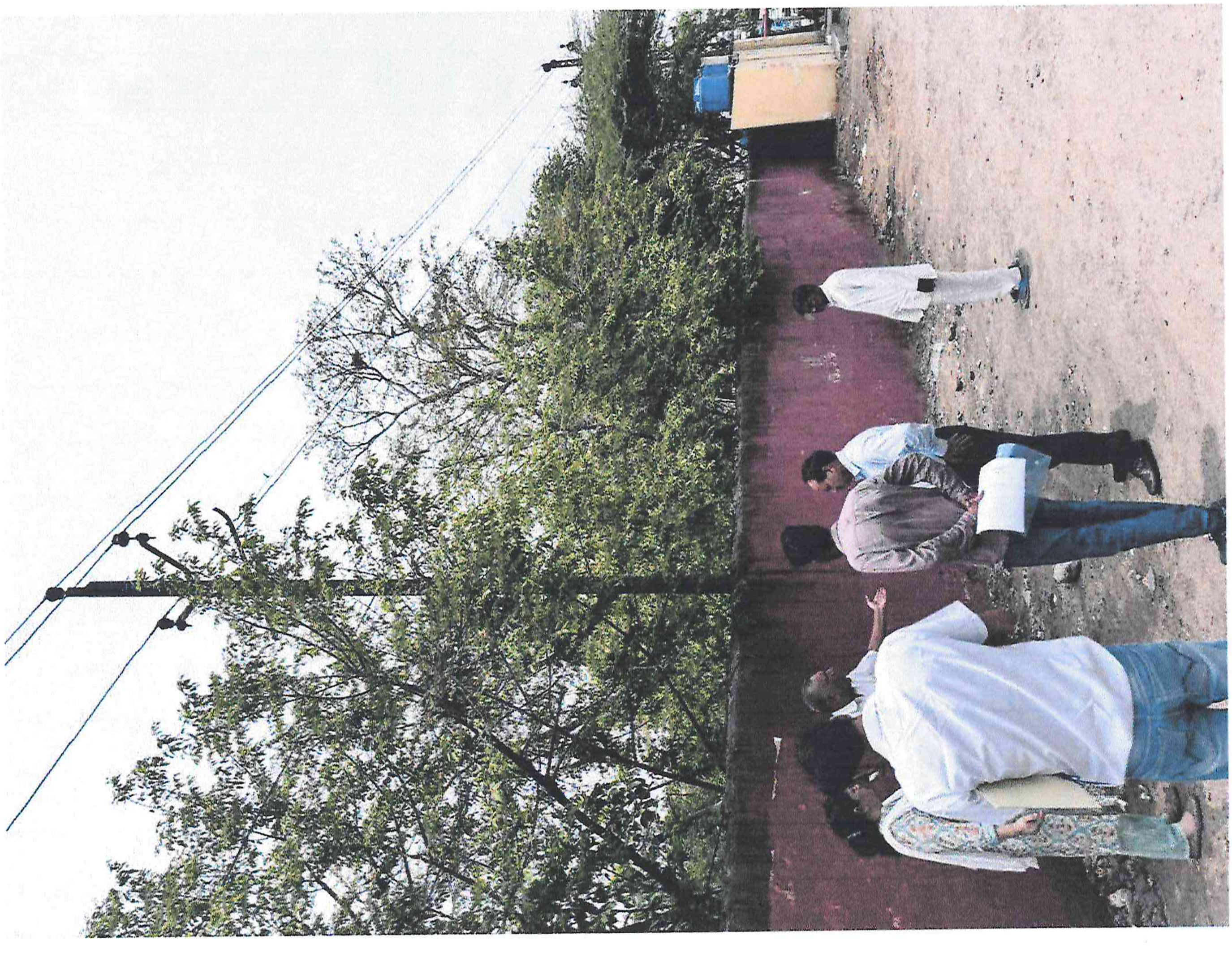

(ANNEX - 1)

9

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (603) RPCB/Legal/NGT/2024/ 523 Date: 28-05-2024

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (South)

Supdt. SO
30/5/24

Subject - Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal order dated 21.05.2024 in Original Application No. 125/2024 (CZ), Namita Choudhary V/s State of Rajasthan & Ors

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT has passed an order dated 21.05.2024 and directed inter-alia as follow:-

5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:-
(i) One representative from the District Collector, Jaipur (Rajasthan)
(ii) One Representative from the Rajasthan Pradesh Pollution Control Board, (Rajasthan)

6. The Committee is directed to visit the site, examine it and submit the factual and action taken report within six weeks.. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

You are hereby nominated as member of the committee as well as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT dated 21.05.2024. Copy of Hon'ble NGT order dated 21.05.2024 is being enclosed for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)
Member Secretary

Copy to following for Information and for further necessary action –

1. District Collector, Jaipur , Rajasthan

Member Secretary

RajKaj Ref
7470650

Signature valid
Digitally signed by N.Vijai
Designation: Member Secretary
Date: 2024.05.28 1?:23:06 IST
Reason: Approved

(10)

[illegible]

[illegible]

आदेश

[illegible]

आज्ञा से,
जिला कलक्टर
जयपुर

क्रमांक: आर-1/[illegible]/[illegible]/विविध/ 1321-22 दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
1. अति० जिला कलक्टर, जयपुर शहर (पूर्व),
2. [illegible] अधिकारी [illegible] [illegible] जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

Signature valid
RajKaj Ref 7957567
Digitally signed by Suresh Kumar Naval
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate

(ANNEX-2)

(11)

मौका निरीक्षण रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सेन्ट्रल जोन, भोपाल में विचाराधीन ओ.ए. नं. 125/2024 (CZ) नमिता चौधरी विरूद्ध राजस्थान राज्य एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 के द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन कर वास्तविक एवं कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये । जिसकी पालना में संयुक्त कमेटी एवं संबंधित विभाग के निम्न अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.07.2024 को मौका निरीक्षण किया गया :–

1. **अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर शहर (उत्तर) (जिला कलेक्टर, जयपुर के प्रतिनिधि)।**
2. **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (दक्षिण)।**
3. **कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)।**

निरीक्षण से पूर्व शिकायतकर्ता एवं मौहल्ला सुरक्षा समिति, 250, जवाहर नगर, जयपुर के संरक्षक श्री डी.पी. चिरानिया को मौका स्थल पर उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया । शिकयतकर्ताओं के साथ संयुक्त कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके की वास्तविक स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

1. नगर निगम द्वारा दिनांक 21.08.2023 को जारी अनुज्ञा पत्र (**परिशिष्ट–अ**) में वर्णित मौका स्थल पर मोबाईल टावर का निर्माण संबंधित कार्य/स्थापित होना नही पाया गया।
2. कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम द्वारा बताया गया कि टावर निर्माण के लिये मिट्टी खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त सीवरेज लाईन की मरम्मत की जा चुकी है। प्रस्तावित स्थल के पास सीवरेज लाईन टूटी हुई नही पायी गयी। मौहल्ला वासियों के विरोध के बाद मोबाईल टावर कंपनी द्वारा निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया।
3. प्रस्तावित मोबाईल टावर स्थल 40 फीट रोड पर स्थित है।
4. प्रस्तावित स्थल के पास श्री डी.पी. चिरानिया, संरक्षक का आवास होना बताया गया जिसकी ऊंचाई लगभग 30–35 फीट है एवं प्रस्तावित मोबाईल टावर एवं एन्टीना की ऊंचाई 30 मीटर होना बताया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर (उत्तर) जयपुर

5. शिकायतकर्ता के अनुसार अनुज्ञा पत्र में बताये गये अक्षांश और देशांतर पूर्ण अंको में (छः अंको में) नही होने के कारण मोबाईल टावर का प्रस्तावित स्थल विवादित होना बताया गया।

6. मौहल्ला सुरक्षा समिति द्वारा उक्त प्रकरण को जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (DLTC) की बैठक दिनांक 24.04.2024 में रखा गया एवं सीवरेज लाईन के क्षतिग्रस्त किये जाने व मोबाईल टावर से रेडिएशन की शिकायत की गई जो कि बिन्दु संख्या 17 पर स्थित है। नगर निगम द्वारा मौके पर क्षतिग्रस्त सीवरेज की मरम्मत एवं रेडीएशन की रिपोर्ट मौके पर मोबाईल टावर के स्थापित होने के उपरांत ही प्राप्त होती है बताया गया। अतः समिति द्वारा प्रकरण को निरस्त कर दिया गया (**परिशिष्ट–ब**)।

निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता की उपस्थिति में मौका स्थल के फोटोग्रफ भी लिये गये जो कि संलग्न है।

(अलका विश्नोई) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर शहर (उत्तर)	(नीरज शर्मा) क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, जयपुर (दक्षिण)	(बहादुर सिंह) कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर (उत्तर) जयपुर	(Neeraj Sharma) Regional Officer, RSPCB Jaipur (South)	

ANNEX-3

(13)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
NAGAR NIGAM, JAIPUR HERITAGE

Ref. ID: NNJAI/2023-24/TIF1/535 **Date: 21-08-2023**

M/s INDUS TOWERS LIMITED
D-34, SUBHASH MARG, G-BUSINESS PARK, 3RD FLOOR, C-SCHEME, JAIPUR 302001
(Authorized Person - SUNIL GUPTA)

Subject: Grant of permission for erection, installation or establishment of aboveground telegraph infrastructure on the land or building under the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 and Order made there-under.

Sir/ Madam,

1. The above applicant-licensee has applied to accord permission for erection, installation or establishment of above ground telegraph infrastructure under rule 9 of the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 read with Para 5 of Order No F. 10(147)UDH / 3 / 2008 Part - III dated 06.02.2017 issued by the deptt.of Urban Development and Housing, Govt.of Rajasthan.The permission has been applied on the land or building mentioned below: -

Zone	Site Address
	ON ROAD SIDE LAND,, NEAR KHADA PARK, JAIPUR, WARD NO- 1, JAIPUR,JAIPUR, PIN-302001, RAJASTHAN

2. The grant of permission is being issued by the system, the necessary fee and charges are to be deposited as per the demand generated.One Year Annual Charges has been paid by licensee.
3. Grant of permission for erection, installation or establishment of following telegraph infrastructure on the land or building here in above mentioned.

The nature and location including exact latitude and longitude, of the post/tower or other aboveground contrivances which are to be established		The extent of land required for establishment of the aboveground telegraph infrastructure	The details of the building or structure, where the aboveground telegraph infrastructure is to be established	The mode of and the time duration for, execution of the work	In case micro cells/ Wi-Fi access points on street light poles/bus shelters/ government building, give detail
26.894	75.8432	--	NAGAR NIGAM HERITAGE JAIPUR,ON ROAD SIDE LAND, JAWAHAR NAGAR SEC2,NEAR KHADA PARK, JAIPUR	45-60 DAYS	N.A.

4. The grant of permission is granted on following terms and conditions: -

(i) The provision/Norms as per Indian Telegraph Right of Way Rules-2016 and Order No F. 10(147)UDH/3/2008 Part-III dated 06.02.2017 issued by the deptt. of Urban Development and Housing, Govt. of Rajasthan are to be followed by the licensee.

(ii) The Radiation norms fixed by DoT have to be strictly followed by the licensee. Any citizen can approach the TERM cell with regard to grievance on any issue relating to radiation.

(iii) Sign boards and warning sign ('Danger','Warning','Caution' etc.) as per guidelines of Dot shall be provided at towers and antenna sites which are clearly visible and identifiable.

Validity unknown
Digitally Signed by SAROJ DHAKA
Designation : EO
Date: 2023.08.21 18:05:13 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

The permission is generated by the system and does not require any physical signature.

14

(iv) The licensee shall be permitted to erect/ install telegraph infrastructure on open land including private/ khatedari land, lands and buildings of Government or Government owned/controlled Statutory or Non-Statutory institutions/bodies or at other public/ private locations including roads, parks, playgrounds, hospitals, schools, land earmarked for public utilities

(v) In the walled city area or in the area of Heritage importance the Pole/Mast shall be designed keeping in view the Heritage character of the area.

(vi) Installation of telegraph infrastructure shall not be permitted on right of way (except utility & essential services space).

(vii) The licensee shall fix the equipments which cause minimum noise and environmental pollution for power back-up in the earmarked boundary adjacent to mobile tower/post.

(viii) Licensee shall also submit a copy of certification by a structural engineer, authorized by appropriate authority, attesting the structural safety of the building or structure, where mobile tower is proposed to be established.

(ix) The structural stability of the towers/posts and building in which it is erected, shall be ensured by the licensee and the towers/posts and their foundations shall be designed accordingly. He shall be solely responsible for any mishap, if it takes during or after erection of towers.

(x) Mobile towers/ posts being a temporary structure and essential service in nature can be installed any type of land/building regardless of its specified land use and will not require change of land use under and law.

(xi) The licensee shall erect GBM/ GBT/ RTT/ RTP at specified locations.

(xii) On the complaint or any other reverse information, the right to take decision to remove or relocate the tower will be with NAGAR NIGAM, JAIPUR HERITAGE. However, an opportunity of being heard shall be given to the company before passing any order for removal/ relocation of any GBM/ GBT/ RTT/ RTP. If company fails to comply, NAGAR NIGAM, JAIPUR HERITAGE will be empowered to remove the structure with the expenditure chargeable to the company. The company will have to remove the structure within 15 days of the notice after decision of DTC (District Telecom committee).

(xiii) NAGAR NIGAM, JAIPUR HERITAGE will have the right to check the parameters of permissible radiation and other services on the expenditure of the company. Also do the investigation on the complaints regarding these fixtures and to inform Telecommunication Department about complaint.

(xiv) Company will coordinate with JEN of NAGAR NIGAM, JAIPUR HERITAGE to make a time scheduler for erection of GBM/ GBT/ RTT/ RTP and submit it to him giving a copy to the concerned nodal officer.

(xv) Agency which is excavating must use the CBuD app before commencing any excavation on public lands/ roads in the state.

(xvi) The permission will be under the decision/ direction of the Hon'ble court in different cases.

(xvii) This permission shall be valid for new applications (not for regularization of existing mobile towers).

(xviii) This permission shall be valid from this date upto the period of license granted to the licensee by the DoT subject to the conditions of renewal as per policy.

The grant of permission is generated by the system as per point no. 8 of Order No F. 10(147)UDH/3/2008 Part-III dated 06.02.2017 issued by the deptt. of Urban Development and Housing, Govt. of Rajasthan.

The permission is generated by the system and does not require any physical signature.

ANNEX-4

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक / श.उ. / डीटीसी बैठक / 2024 / 582 दिनांकः— 01/05/2024

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (DLTC) की बैठक दिनांक 24.04.2024 को सांय 4:00 बजे श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में Webex के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारीगण/प्राधिकृत अधिकारी एवं टेलिकॉम कम्पनी के प्रतिनिधि भाग लिया।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा आयुक्त एवं प्रशासक, नगर निगम (हैरिटेज एवं ग्रेटर), जयपुर एवं आमजन से प्राप्त टेलिकॉम पॉलिसी दिनांक 06.02.2017 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार प्रस्तावित मोबाईल टावर हेतु अनापत्ति जारी होने के उपरान्त नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 06.02.2017 एवं दिनांक 13.01.2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार विवादित प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु **समिति द्वारा निम्नांकित प्रकरणों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—**

प्रकरण संख्या	नगर निगम द्वारा प्रेषित आपत्ति	आपत्ति का विवरण	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	इस कार्यालय के पत्रांक 1327 दिनांक 27.05.2022 आयुक्त नगर निगम ग्रेटर को प्रेषित। **साईड आईडी I-RJ-JPUR-ESC-0534-C1**	समस्त कॉलोनीवासी ने निवेदन किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के जोन 12 साईड आईडी I-RJ-JPUR-ESC-0534-C1 आदेश के तहत मैसर्स रिलायन्स जियो इनफोकॉम लिमिटेड, पता- थर्ड फ्लोर, मेकर चैम्बर चतुर्थ, 222, नरीमन पोईन्ट मुम्बई - 400021 को रिलायंस 4 जी का टॉवर ऑन रोड फुटपाथ आउट साईड बाउण्ड्रीवाल के पास पी एस बाग गैरिज गार्डन अपोजिट एण्ड अदर रोड साईड ओपन लैण्ड जमुना नगर, गोकुलपुरा, कालवाड रोड जयपुर पर लगाने के आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी किये गये है। जिस स्थान पर टॉवर लगाने को चिन्हित किया गया है उसके 100 मीटर के दायरे में हॉस्पिटल, स्कूल एवं मंदिर स्थित है मंदिर हॉस्पिटल तथा स्कूल में बच्चों व कॉलोनीवासीयों का आना-जाना लगा रहता है तथा चिन्हित स्थान के पास से हाई टेंशन लाइन गुजर रही हैं एवं सम्पूर्ण कॉलोनी में पूर्ण रूप से बसावट हो चुकी है तथा इस बाबत कॉलोनीवासियो एवं रजिस्टर्ड विकास समितियों का भी भारी विरोध है	प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार करते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से सड़कों के स्वामित्व के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त होने उपरान्त संबंधित नगरीय निकाय अपने स्तर पर अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण को ड्रॉप किये जाने का निर्णय लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 15:48:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 6844729

(15)

		तथा टॉवर की बात सुनने के बाद कॉलोनीवासीयों में भारी भय व्याप्त उत्पन्न हो गया है। यदि उक्त स्थान पर टॉवर लगाया जाता है तो भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटित हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की होगी। जेडीए ने दिनांक 07/12/2020 को विज्ञप्ति निकाली जिसकी हमने आपत्ति दिनांक 11/12/2020 को लगा दी थी सभी कॉलोनीवासीयों ने फिर भी नगर निगम जयपुर ने रिलायंस टॉवर को लगाने के लिये एन ओ सी जारी कर दी, जो कि कॉलोनी जेडीए विकास प्राधिकरण के एरिये में आती है नगर निगम को एन ओ सी जारी करने का अधिकार नही बनता है। श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त टावर को अन्यत्र कही और जगह पर लगाया जावे जिससे कि कॉलोनीवासी अमन शान्ति से जीवन पायन कर सके	
2	Reliance Jio Info. Ltd. GBM TOWER (Site ID-JPUR-RIL-0297)	हरीश अग्रवाल प्लाट नंबर 9 सिंधी कॉलोनी जयपुर ने निवेदन किया है, कि Reliance Jio को GBM TOWER (Site ID RIL-0297) installation की इजाजत श्रीमान द्वारा शांति मैरिज गार्डन के पास - ब्रिजमंडल कॉलोनी, Ward No. 39 जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) 80 फीट रोड के उत्तर (North) मे ब्रिजमंडल कॉलोनी में लगाने की दी गई है। Reliance Jio अपने प्रभाव और श्रीमान द्वारा प्रदत NOC की शर्तो का उल्लंघन व दुरुपयोग करते अपनी सुविधा अनुसार इस GBM TOWER को ब्रिजमंडल कॉलोनी में स्थापित (Install) करने के बजाय मेरे भूखण्ड संख्या 3, भोमिया नगर जोकि WARD No. 36, जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) में 80 फीट रोड़ के दक्षिण (South) में स्थित है की बाउंड्री वाल पर एवं गेट के बगल मे रातो-रात लगा दिया, जोकि company को प्रदत NOC मे वर्णित स्थल के बिलकुल विपरीत दिशा एवं बिलकुल अलग एरिया एवं कॉलोनी में है। प्रार्थी ने इस विषय में JDA मे भी Raj Samparkportal पर WRITE TO CM के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी जिसकी पालना में जेडीए के अधिशासी अभियंता (RRP-II) Nodal Officer - OFC ने प्रार्थी की	प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मैसर्स रिलायंस जिओ से समन्वय स्थापित कर मोबाइल टॉवर स्थापित स्थल की मौका स्थिति रिपोर्ट मय टिप्पणी 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
6844729

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 16:48:36 IST
Reason: Approved

16

		उपस्थिति मे मोका मुआयना कर पाया कि Reliance Jio ने उपरोक्त GBM Tower स्वीकृत स्थान पर ना लगा कर अन्यत्र जगह भोमिया नगर प्लॉट नंबर 3 की बाउंड्री वॉल पर लगा दिया जोकि NOC मे वर्णित शर्तो का स्पष्ट उलंघन है। JDA ने पत्र मे GBM Tower को वर्तमान स्थान से हटा कर NOC में वर्णित शांति मैरेज गार्डन के पास लगाने के स्पष्ट आदेश कंपनी को दिये है जिसको एक माह का समय समाप्त हो चुका है लेकिन company ने इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कंपनी को NOC में वर्णित शर्तो का पालन करने को बाध्य किया जाए ताकि उपरोक्त TOWER को मेरे PLOT की बाउंड्री वाल से हटाकर सही स्थान पर लगवाने की कृपा करे।	
3	मैसर्स इण्डस टॉवर लिमिटेड साईड आईडी IN-3121251	समस्त निवासीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि हम सभी लोग म.नं. 570, रास्ता ठाकुर पचेवर, रामगंज बाजार, जयपुर-3 (राज) वार्ड संख्या 75 के रहवासी है। मकान में कई साझेदार है- उन्हीं में से एक साझेदार श्री रोहित ओसवाल पुत्र श्री स्व. शांति लाल जी ओसवाल ने बाकी मकान मालिकों की बिना सहमति लिये मोबाईल टावर व बूस्टर लगवाने का प्रयास कर रहे है और आज के दिन उन्होंने टॉवर व बूस्टर को लगवाने की कोशिश भी की है। इस संदर्भ में हम आपको यह बता दें कि करीबन 6-8 माह पूर्व भी करीबन 22-02-2022 को भी उन्होंने इसी प्रकार की कोशिश करी थी, लेकिन हम सभी जनों ने रामगंज थाने व नगर निगम (घाटगेट) में शिकायत भी दर्ज करवायी थी, इसके उपरान्त रामगंज थाने के हैड कांस्टेबल श्री विनोद जी ने मौक पर आकर श्री रोहित ओसवाल को पाबंद किया था, तब रोहित ओसवाल ने लिखित प्रार्थना पत्र लिखकर भविष्य में कम भी मोबाईल टॉवर व बूस्टर नहीं लगवाने के लिये लिखा था, जिसका पेपर रामगंज थाने में आज भी जमा है। अब आपको यह बता दें कि मकान में श्रीमती शशि छजलानी, श्रीमति मुन्ना देवी गोधा व श्रीमती उषा पटेल	प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स इण्डस टावर लिमिटेड अतिशीघ्र मौका स्थल रिपोर्ट मय टिप्पणी भिजवाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
6844729

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024-05-01 18:48:36 IST
Reason: Approved

17

		कैंसर रोग से पीडिता है तथा श्री संजय घजलानी व श्री शरद धजलानी को ह्रदय रोग से पीड़ित मरीज है। इस मोबाईल टॉवर व बूस्टर से निकलने वाली किरणें कितनी घातक है, यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप तुरन्त ही हम लोगों की तरफ ध्यान देकर भविष्य में मोबाईल टॉवर व बूस्टर से निकलने वाली घातक विकिरणों से होने वाल बीमारियों से हम सभी को बचायें तथा श्री रोहित ओसवाल को तुरंत ही पाबंद किया जायें कि वे मकान में तथा आसपास में रह रहे रहवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करें तथा आप उनसे लिखित में ऐसा कार्य नहीं करने के लिये बाध्य तथा टॉवर व बूस्टर लगवाने के आर्डर को निरस्त करवाने की कृपा करें।	
4	आयुक्त नगर निगम हेरिटेज जयपुर का पत्रांक 669 दिनांक 09.11.2022 के द्वारा प्राप्त। **INDUS TOWER LIMITED** द्वारा श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री अब्दुल सत्तार निवासी- प्लॉट नं- 3408, बाबू का टिबा, रामगंज बाजार, जयपुर पर RTP टावर लगाने हेतु दिनांक 16.03.2022 को आवेदन किया गया था। जिसके पश्चात् समस्त स्थानीय निवासी- चौकड़ी तोपखाना हूजुरी कोलियों की कोठी द्वारा लिखित में दिनांक 23.03.2022 को आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई थी। उक्त पत्रावली में आपत्ति प्राप्त होने पर सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण इसी पते की प्राप्त अन्य पत्रावली में आपत्ति संलग्न कर दी गई। अतः प्राप्त आपत्ति सही पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कारण उक्त साईट आईडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.2022 को जारी कर दिया गया। अतः उक्त मोबाईल टॉवर **साईट आईडी**	समस्त निवासीगणों द्वारा निवेदन किया है कि अकरम पुत्र सत्तार की छत पर लगने वाले टॉवर के खिलाफ सम्पूर्ण क्षेत्र के लोगों का विरोध है। यहां सभी समुदाय के लोगों का निवास है और सभी इसका सामूहिक रूप में विरोध करते है। क्योंकि इस नेटवर्क टावर के लगने पर आबादी क्षेत्र में आस पास लोग निवास करते है। नेटवर्क टॉवर की निकलने वाली किरणों का लोगों पर विषैला प्रभाव पडेगा जिससे क्षेत्र के लोगों को भयकंर किस्म की बीमारियों का सामना करना पडेगा।	प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स इण्डस टावर लिमिटेड द्वारा उक्त मोबाईल टॉवर के रेडियेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जिसमें The Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocation (SACFA) has approved की गई है। अतः प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समिति द्वारा उक्त प्रकरण को ड्रॉप किये जाने का निर्णय लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation :Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 15:48:36 IST
Reason: Approved

Rajkaj Ref 6844729

18

	IN-3124982 की अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से पूर्व आपत्ति प्राप्त होने के कारण नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने हेतु प्रकरण जिला स्तरीय दूर संचार समिति में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा हैं।		
5	समस्त निवासीगण डीके नगर विकास समिति एवं श्री विजेन्द्र सिंह पाल, पार्षद वार्ड नं. 40 नगर निगम ग्रेटर जयपुर।	डीके नगर विकास समिति ने निवेदन किया है कि प्लाट नं. 14 डी के नगर खातीपुरा रोड़ झोटवाडा जो की श्री उमराव सिंह पाल सेवानिवृत राजकीय सेवा राजस्थान सरकार में कार्यरत थे ने कॉलोनी वासियों की बिना सहमति के निजी कंपनी का रूफ टॉप सेल टावर आधी रात्री में इन्टाल करवा दिया है और उनके मकान का स्ट्रक्चर टावर लगाने योग्य नहीं है। रेडियेशन खतरे को मध्यनजर रखते हुए टॉवर हटाने की कार्यवाही करें।	प्रकरण में नगर निगम ग्रेटर से प्राप्त रिपोर्ट उपरान्त बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये संचालित किये जा रहे मोवाईल टॉवर संरचना को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 60.02.2017 के विन्दु संख्या (13) के तहत विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर उक्त टॉवर को सीज करने हेतु उपायुक्त विद्याधर नगर जोन नगर निगम ग्रेटर को पत्र लिखा जा चुका है। अतः नगर निगम ग्रेटर से प्राप्त जवाब के आधार पर समिति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाता है।
6	समस्त निवासीगण भुवनेश्वरी वाटिका विस्तार सिरसी रोड मीनावाला, जयपुर।	समस्त कॉलोनीवासी, भुवनेश्वरी वाटिका विस्तार, सिरसी रोड, मीनावाला जयपुर ने निवेदन है कि वार्ड नम्बर-50 नगर निगम ग्रेटर में भुवनेश्वरी वाटिका विस्तार, सिरसी रोड, जयपुर में मकान नंबर 9, जो कि मालिक सुमेर सिंह यादव है जो 30 फीट रोड पर तीन मंजिला मकान बना रखा है जिसमें अवैध रूप से मोबाइल टावर लगा रहे है। जो कि मकान कॉलोनी के बीचों बीच में है एवं कॉलोनी समिति और लोगों से कोई अनुमति नहीं ली। न किसी से कोई वार्तालाप किये बगैर उन्होंने टावर लगवाया लिया है जो कि लगाने के प्रोसेस में चल रहा है। यह कॉलोनी जे.डी.ए अप्रूव्ड नहीं है और	प्रकरण में नगर निगम ग्रेटर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपायुक्त, झोटवाडा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर ने अपने पत्रांक 36 दिनांक 23.04.2024 से अवगत कराया है कि प्रश्नगत स्थल पर मौका निरीक्षण किये जाने पर मौके पर कोई भी टॉवर संरचना नहीं है। अतः नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से प्राप्त जवाब के आधार पर समिति द्वारा उक्त प्रकरण को ड्रॉप किये जाने का निर्णय लिया गया।

RajKaj Ref 6844729

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 13:48:36 IST
Reason: Approved

19

		कोई भी मकान कॉमिशियल नहीं है। कॉलोनी में अधिकतर मकानों में लोग रहते हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि कॉलोनियों वालों को आगे परेशानी ना हूँ एवं कॉलोनी में भारी जन आक्रोश है जिसके कारण जनहानि भी हो सकती है। इसलिए मोबाईल टॉवर लगाने की अनुमति न देने की कृपा करें।	
7	श्री गोविन्द यादव अध्यक्ष माँ इन्द्रा विहार विकास समिति, रामनाथपुरी II गोपालपुरा कालवाड रोड जयपुर।	समस्त कॉलोनवासी माँ इन्द्र विहार एवं बाल विहार गोकुलपुरा कालवाड रोड, जयपुर ने निवेदन किया है कि प्लाट नं. 48 माँ इन्द्र विहार 3 गोकुलपुरा, कालवाड रोड़, जयपुर में मकान मालिक श्री विक्रम सिंह (मो. नं. 6377559059) द्वारा अपने मकान की छत पर मोबाइल टावर लगवाया है। उक्त कॉलोनी पूर्णत बसी हुई है तथा कॉलोनी के अधिकांश मकानो में परिवार निवास कर रहें है। कॉलोनी वासियों द्वारा श्री विक्रम सिंह से मोबाइल टावर हटवाने का निवेदन किया गया था कॉलोनी वासियों द्वारा श्री विक्रम सिंह को टावर हटवाने हेतु व्यक्तिगत अवगत करवाया गया है। परन्तु मकान मालिक द्वारा टावर नहीं हटवाया गया है। श्री विक्रम सिंह मकान में स्वयं निवास नहीं कर रहे हैं तथा मकान पर ताला लगा हुआ है मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडियेशन सभी कॉलोनी वासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा कैंसर सहित अन्य कई बीमारियों का कारण बन रहा है इस प्रकार श्री विक्रम सिंह केवल अपने वित्तीय लाभ के लिए सभी कॉलोनी वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहें है। अतः कॉलोनी वासियो के स्वास्थ्य को मध्यनजर रखते हुए आपसे निवेदन है उक्त मकान से मोबाइल टावर हटवाने का श्रम करावें।	प्रकरण में नगर निगम ग्रेटर से द्वारा प्रेषित जवाब के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर निगम ग्रेटर प्रकरण की वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
8	समस्त क्षेत्रवासी चौमू	समस्त क्षेत्रवासी ने निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र नीमड़ी सामोद रोड ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमू में एक बड़ा नेटवर्क टावर बनाया जा रहा है जो कि सभी नीमड़ी क्षेत्रवासियों, बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों व विद्यालय	प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी चौमू ने अपने पत्रांक 455 दिनांक 23.04.2024 से अवगत

RajKaj Ref
6844729

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 13:48:36 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\6844729_70786...256919.docx

(20)

		ग्रीन गार्डन स्कूल के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होगा। जिसे बनाने का सभी ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। उक्त क्षेत्र में एक टावर पहले से लगा हुआ है, क्षेत्र की नेटवर्क समस्या को दूर कर रहा है अतः अब दूसरा टावर लगाना अनुचित है क्योंकि जितने अधिक टावर होंगे उनसे उतना ही अधिक रेडिएशन उत्पन्न होगा, रेडिएशन से बुजुर्गो, युवाओं व बच्चों को स्वास्थ्य समस्या जैसे अनिद्रा, थकान, समय से पहले वृद्ध दिखना, पढ़ाई से दूरी, आँखों में जलन इत्यादि। (क्षेत्र के बुजुर्ग लोग पहले ही अनिद्रा, थकान, अस्थमा व अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत करते हैं जिनका इलाज करवाना पड़ता है, जो कि टावर के लगने से पहले नहीं थी) विद्यालय भवन के पीछे वर्ष 2020 (लॉकडाउन के समय में भी एक अवैध टावर लगाया गया था, उस टावर तीव्र शोर करता है, टावर के अन्य उपकरण व कर्मचारी भी शोर करते हैं, रोकने-टोकने पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस भूमि पर यह टावर बनाया जा रहा है उसका खसरा नंबर 1875/2 कृषि भूमि है यह भूमि ग्राम पंचायत हाथनोदा के अंतर्गत आती है। भूमि मालिक स्व. श्री हनुमान सहाय पुत्र नाथू है जिनका देहांत हो चुका है। टावर के निर्माण के लिये किसी भी सक्षम अधिकारी, विभाग, ग्राम पंचायत से कोई भी N.O.C नहीं ली गईपटवारी महोदय के मांगने पर टावर निर्माण ठेकेदार ने प्रस्तुत नहीं किया/ N.O.C नहीं ली गई	कराया है कि ग्राम हाथनोदा के खसरा नम्बर 1875/2 रकबा 0.31 है० भूमि खातेदार हनुमान सहाय पुत्र नाथू जाति माली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर इन्डस कम्पनी द्वारा लीज पर लिया जाकर एयरटेल कम्पनी का टॉवर वर्तमान में चालू है तथा 03 मीटर की दूरी पर एक टॉवर जियो रिलायन्स कम्पनी का चालू है। पटवारी हल्का, हाथनोदा द्वारा मौके पर उपस्थित टॉवर की देखभाल करने वाले व्यक्ति (मोबाईल नम्बर 9828034760) से पूछताछ में अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना बताया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया है। शिकायतकर्ता आकाश सैनी द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद क्रमांक 032333414980329 के क्रम में अपनी शिकायत को विड्रा किया जा चुका है। अतः उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर से प्राप्त जवाब के आधार पर समिति द्वारा उक्त प्रकरण को ड्रॉप किये जाने का निर्णय लिया गया।
9	जय बाबा रामदेव विकास समिति	जय बाबा रामदेव विकास समिति ने निवेदन है कि रैगरों का मोहल्ला, वार्ड नं. 12, जयसिंह पुरा खोर, जयपुर में एक मकान की छत पर इण्डस टावर कम्पनी के द्वारा टॉवर लगाया जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित तरीके से लगाया जा रहा है जिस मकान पर टावर लगाया जा	प्रकरण में उपायुक्त राजस्व (प्रथम) नगर निगम हैरिटेज ने अपने पत्रांक 2747 दिनांक 30.01.2024 से अवगत कराया है कि मौके पर G+3 भवन निर्मित हैं तथा वर्तमान में

RajKaj Ref 6844729

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation :Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024-05-01 18:48:36 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\6844729_70386_1717_56019.docx

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

		रहा है, वह मकान टॉवर और उसके उपकरणों का वजन सहने में सक्षम नही है। मकान की नीव से लेकर छत तक पूरा ढांचा ही कमजोर है। टॉवर का वजन बढ़ने से मकान की दीवारों मे दरारे भी आ गयी है। उक्त मकान के आस-पास बहुत से घर बने हुये है जहाँ कई परिवार रहते है। टावर गिरने की स्थिति में कई लोगो को चोट पहुंचने का खतरा है तथा जान-माल का भारी नुकसान होने की आशंका है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुये उक्त टावर की स्थापना को रदद कर आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।	उक्त भवन पर RTP टॉवर स्थापित / संचालित हैं संबंधित कम्पनी द्वारा आवेदित दस्तावेजों में अवगत करवाया गया कि उक्त भवन RCC COLUMNS पर निर्मित है परन्तु उक्त भवन BRICKS COLUMNS पर निर्मित हैं। और मोबाईल टॉवर को RCC SLAB के साथ उचित तरीके से नहीं जोडा गया है। उक्त भवन Structural Stability की दृष्टि से RTP टॉवर के लिए उपर्युक्त नहीं है। अतः उक्त RTP टॉवर की अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाना उचित होगा। अतः नगर निगम हैरिटेज से प्राप्त जांच के आधार पर समिति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रकरण का ड्रॉप किया जाता है।

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation :Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 16:18:36 IST
Reason: Approved

☎ 0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

10	आम जनता फागी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।	आम जनता फागी ने निवेदन है कि चाके ग्राम डिग्गी रोड बैरवा वस्ती, माताजी मन्दिर के पिछे 10 साल से बन्द पडा मोबाईल टॉवर जो वर्तमान में जीण शीण अवस्था में तथा सबसे लम्बा टॉवर है तथा हवा में हिलता डूलता है कभी भी उक्त टॉवर गिर सकता है। जिससे जन हानि हो सकती है। उपरोक्त टॉवर घनी आबादी के बीचों बीच है चारों तरफ कॉलोनिया बनी हुई है जिससे कभी भी यदि टॉवर गिरता है या उसका कोई उपकरण गिरता है तो भारी जन हानि होने की आशंका है कई बार रिलाईन्स कम्पनी के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चूका है इसके पश्चात भी कम्पनी के अधिकारियों द्वारा न तो आश्वासन दिया जाता है और ना ही उक्त टावर हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त टावर को हटवाने बावत जल्द से जल्द कम्पनी के कर्मचारियों को निर्देशित करने की कृपा करे ताकि भविष्य में होने वाली जन हानि से बचा जा सकें।	प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर से रिपोर्ट अप्राप्त। अतः समिति द्वारा प्रकरण को पुनः विचाराधीन रखते हुये निर्णय लिया गया कि उपखण्ड अधिकारी फागी प्रकरण में व्यक्तिशः से ध्यान देकर वांछित अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
11	**Tower Vision India Private Limited**	अर्जुन दास पुत्र भोजराज प्लाट नं. 116 ए, शिव शक्ति नगर ए, बालरामपुरा उर्फ खेजरो का वास, सांगानेर जयपुर पर मोबाइल टॉवर स्थापित किया गया था, Tower Vision India Private Limited का कथन हैं कि उक्त टॉवर का भुगतान शुल्क आनलाइन पोर्टल पर समय पर नहीं होने के कारण उपायुक्त मानसरोवन जोन नगर निगम ग्रेटर के पत्रांक 1201 दिनांक 21.09.2023 से सीज कर दिया गया है। Tower Vision India Private Limited द्वारा उक्त टॉवर को de-seal करने हेतु निवेदन किया गया है।	प्रकरण में मैसर्स टॉवर विजन इण्डिया प्रा.लि. ने अपने प्रतिवेदन पत्र में बताया है कि दिनांक 24.05.2022 को आवेदन शुल्क रू. 10000 जमा कर नियमानुसार टॉवर की स्थापना की गई। उपायुक्त मानसरोवन जोन नगर निगम ग्रेटर ने दिनांक 21.09.2023 को मोबाईल टॉवर शुल्क राशि जमा नहीं कराये जाने एवं राजस्व हानि के कारण इसे सीज कर दिया गया। उक्त मोबाईल टॉवर से संबंधित शुल्क ऑनलाईन जमा कराने का कोई विकल्प न होने कारण कारण शुल्क राशि को जमा नहीं कराया जा सका। उक्त शुल्क राशि को जमा

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 18:48:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 684172

			कर मोबाईल टॉवर स्थापन को डी–सील करने बाबत निवेदन किया गया है। इस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर निगम ग्रेटर आगामी बैठक से पूर्व यह अवगत करावे कि मैसर्स टॉवर विजन इण्डिया प्रा.लि. से उपरोक्त शुल्क राशि को जमा करने बाबत क्या प्रावधान है।
12	JIO infocomm ltd.	जेडीए द्वारा हर्षित मेरीज गार्डन के पास, प्रेम नगर 2, गुर्जर की थडी जयपुर में टावर लगाने की अनुमति जारी की गई थी। जीओ इनफोकोम द्वारा टावर अनुमति जारी स्थान पर न लगाया जाकर प्रार्थी श्री कैलाश नारायण शर्मा के भूखण्ड संख्या 82 प्रेम नगर द्वितीय में लगाया गया हैं। जेडीए द्वारा अपने नोटिस नं जेडीए/82/ई05 दिनांक 26.07.2023 से उक्त टावर को अवैध लगाया जाना बताया हैं। JIO infocomm ltd द्वारा उक्त नोटिस पर की जा रही कार्यवाही को ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया हैं।	प्रकरण में उपायुक्त जोन–5 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्रांक डी–628 दिनांक 23.04.2024 से अवगत कराया है कि दिनांक 25.01.2024 को मैसर्स रिलाईन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को जविप्रा कार्यालय में उपस्थित होकर टॉवर के सबंध में चाही गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु पत्र जारी किया गया। चर्चा अनुसार दिनाक 06.02.2024 को जविप्रा अधिकारी एवं रिलाईन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के कर्मचारी तथा शिकायतकर्ता के साथ संयुक्त रूप से मौका देखा गया। रिलाईन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को जविप्रा द्वारा (26.87149, 75.76553) कोडिनेट जारी किये गये थे इसके स्थान पर रिलाईन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्ता के भूखण्ड सख्या 82 (गैर अनुमोदित) के अन्दर टॉवर की फाउण्डेशन का निर्माण किया गया। शिकायतकर्ता के विरोध के पश्चात्

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024-05-01 18:48:36 IST
Reason: Approved

Rajkaj Ref 6844729

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\6844729_70786...56919.docx

25

			रिलाईन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा निर्मित फाउण्डेशन को तोडकर हटाया गया तथा भूखण्ड (गैर अनुमोदित) के बाहर रोड के कॉर्नर पर (26.871458, 75.765608) कोडिनेट पर टॉवर निर्माण किया गया तथा पूर्ण किया गया। रिलाईन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अधिकारियों एवं जविप्रा द्वारा दिनांक 06.02.2024 को किये गय संयुक्त मौका निरीक्षण में यह तर्क रखा गया कि जविप्रा द्वारा जारी कोडिनेट पूर्व में निर्मित तीन मंजिल बिल्डिग के सामने है तथा लगाया जाना सम्भव नही है। क्योंकि टॉवर के लिये 20–30 फीट खुदाई करने पर बिल्डिग को क्षति हो सकती है एवं जान–माल की हानि होने का अंदेशा है। भूखण्डधारी को भूखण्ड संख्या 82 (गैर अनुमोदित) के संबंध में सहकारी समिति द्वारा 50'*30' का साईट प्लान जारी है। शिकायतकर्ता द्वारा भूखण्ड (गैर अनुमोदित) पर निर्माण कार्य जारी है तथा टॉवर निर्माण कार्य क्षेत्र के बाहर है। शिकायतकर्ता का भूखण्ड (गैर अनुमोदित) है तथा भूखण्ड, टॉवर, ROW अन्य के सबंध में नजरी नक्शा प्रस्तुत है। वर्तमान मे रिलाईन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का टॉवर शिकायतकर्ता के भूखण्ड संख्या 82 (गैर अनुमोदित) के

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024-05-01 18:48:36 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\68...56819.docx

			अन्दर स्थित नहीं है तथा पूर्व में टॉवर का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 में पूर्ण हो चुका है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त जवाव के आधार पर समिति द्वारा उक्त प्रकरण को ड्रॉप किये जाने का निर्णय लिया गया।
13	गिरिराज वाटिका I विकास समिति,	अध्यक्ष बाबू लाल खिंची, गिरिराज वाटिका I विकास समिति द्वारा निवेदन किया गया है कि गिरिराज वाटिका I, मंशारामपुरा निवारू रोड झोटवाडा जयपुर पर प्लाट नं. 41 जोकि विरेन्द्र सिंह का है, जो मिलिभगत कर अपने प्लाट पर अवैध रूप से **एयरटेल कम्पनी** का टॉवर लगा रहा है। इस टॉवर को रोककर न्याय देने एवं हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करायें।	नगर निगम ग्रेटर जयपुर प्रकरण में वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
14	माननीय पूर्व विधायक अशोक परनामी का अर्द्ध शासकीय पत्रांक स्पे.856 दिनांक 18.12.2023	आर्दशनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत विजयपुरा पंचायत समिति बस्सी के इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी के प्लाट नं. 46 में अवैध मोबाईल टॉवर लगाया गया है। उक्त टॉवर के आसपास में स्कूल व आवासीय क्षेत्र है उक्त टॉवर से निकलने वाली रेडियेशन के कारण स्कूली बच्चों को व जन मानस को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड सकता है। लोगो के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त टॉवर को हटाये जाने की कृपा करें।	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर प्रकरण में वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
15	कार्यालय के पत्रांक 341 दिनांक 14.02.2024 से आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया।	समस्त ग्रामवासी मुख्य सोडाला तेजाजी मार्ग वार्ड नं. 47, जयपुर ने निवेदन है कि प्लॉट नं. 37, तेजाजी मार्ग, सोडाला, में मोहनलाल सैनी पुत्र स्वर्गीय चौथमल सैनी निवास करता है वह अपने मकान जो कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है तथा मकान के पास दो निजी स्कुल भी संचालित है। दो प्राचीन मंदिर है जिनमें सुबह शाम करीबन हजारों श्रद्धालु का आना	प्रकरण में उपायुक्त राजस्व (प्रथम), नगर निगम ग्रेटर, ने अपने पत्रांक 35 दिनांक 23.04.2024 से अवगत कराया है कि प्रकरण पूर्व में जिला दूर संचार समिति में दर्ज था। जिसे दिनांक 28.12.2023 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया

RajKaj Ref
6844729

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation :Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 16:48:36 IST
Reason: Approved

26

		जाना लगा रहता है, उक्त मकान की तीसरी मंजिल पर मोबाइल टॉवर लग रहा है। जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड रहा है। इस टॉवर से सभी ग्रामवासी में आक्रोश है। इस टॉवर का हटाने का श्रम करें।	गया। नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से प्राप्त जवाब के आधार पर एवं प्रकरण में रेडियेशन संबंधित आपत्ति प्रस्तुत की है। जबकि रेडियेशन की रिपोर्ट मोबाईल टॉवर के स्थापित उपरान्त ही प्राप्त होती है। अतः समिति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाता है।
16	कार्यालय के पत्रांक 384 दिनांक 26.02.2024 से आयुक्त नगर निगम हैरिटेज जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया।	समस्त कॉलोनीवासीयों ने निवेदन किया है कि मकान नं. 228, जे पी कॉलोनी सेक्टर–3, नियर शिव मंदिर गुड बेकरी वाली गली शास्त्री नगर में मोहम्मद रफीक निवास करता है जो अपने मकान में अवैध तरीके से मोबाईल टावर लगवा रहा है समस्त कॉलोनीवासियों के विरोध करने के बावजूद बलपूर्वक टावर लगा रहा है। कॉलोनी में भीड भाड होने एवं रास्ता 18 फिट से भी कम होने की वजह से आने जाने में दिक्कत आती है रफीक खान के आस पास कॉलोनी में कई बुजुर्ग शुगर, बीपी, कैंसर, जैसी कई गंभीर बिमारियों से ग्रसित लोग रहते है। मोबाईल टावर लगने से नुकसान कारित विकरण और रेडियेशन निकलता है, जिससे और भंयकर बीमारी होने की आशंका है। इस कॉलोनी के आस पास कई स्कूल कई सालो से संचालित है जो उक्त टॉवर से स्कूल की दूरी 40 फीट है जिसमें करीब 600 के आस पास बच्चे पडते है टावर से उनके स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है। उक्त टावर से कॉलोनीवासियों में भय व्याप्त है और जबकि आस पास में मोबाईल नेटवर्क भी पुरा आ रहा है यदि यह टावर का कार्य नही रूका तो कॉलोनीवासियों में गुस्सा पैदा होने की वजह से कोई भी समप्रदायिक सदभाव भी बिगड सकता है और जान माल को भी खतरा हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उचित प्रक्रिया को अपनाते	प्रकरण में नगर निगम हैरिटेज द्वारा प्रेषित जवाब उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर निगम हैरिटेज मोबाईल टॉवर स्थापित स्थल के संबंध में वस्तु स्थिति की रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
6844729

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 18:48:36 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

		हुए अतिशीघ्र मोबाईल टावर का कार्य रूकवाकर कॉलोनीवासियों की समस्या का निस्तारण करें तथा हमें न्याय दिलवाने की कृपा करें।	
17	कार्यालय के पत्रांक 419 दिनांक 11.03.2024 से आयुक्त नगर निगम हैरिटेज जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया।	डी.पी. चिरानिया संरक्षक व अन्य, मोहला सुरक्षा समिति 250 जवाहरनगर, जयपुर ने निवेदन किया है कि कि नगर निगम हेरिटेज ने ID सँख्या NNJAI/2023–24/TIF1/535 दिनांक 21–08–2023 (संलग्न–2) द्वारा **इण्डस टावर लिमिटेड** को जो अनुमति जारी करने मे प्रक्रिया अपनाई, उसमे राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश f-10 (147)UDH/3/2008 Part&III दिनांक 6 Feb 2017 की व DoT नोर्मस की पूर्णरुप से पालना नहीं की है. अतः नगर निगम हेरिटेज द्वारा इण्डस टावर लिमिटेड को संलग्न –2 द्वारा जारी अनुमति निरष्ट करने योग्य है, अतः उसे निरष्ट किया जावे। इण्डस टावर द्वारा जिस प्रकार से गलत स्थान पर, DoT की गाईड लाईन की पूर्णतया अनदेखी करते हुये, सिवरेज लाईन तोड कर, उसके ऊपर, गुप–चुप मे, मध्य रात्री मे टावर लगाने की प्रक्रिया की गई है वह बहुत ही गैर कानुनी है. इस फर्म के खिलाफ उचित दण्डनीय प्रक्रिया चालू की जावे। इण्डस टावर ने नगर निगम द्वारा तोड़ी गई सिवरेज पाईप लाईन को वापिस पूर्व स्थित में दुरस्त करने सम्बान्धित नोटिस के बावजुद भी इण्डस टावर द्वारा सिवरेज लाईन को दुरस्त नहीं करने का संज्ञान लेकर, नगर निगम को इण्डस टावर के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा सिवरेज पाईप लाईन को दुरस्त करवाने का आदेश दिया जावे। जिस प्रकार से एक ही क्षेत्र में कई कई मोबाईल टावर लगाने के आवेदन प्राप्त हो रहे है, उनकी अनुमति दी जा रही है, वह बहुत बड़ी विपति को न्योता दे रही है. पहले से लगे मोबाईल टावर से कितना रेडियेशन क्षेत्र में फैल रहा है, उसकी मोनिटरिंग की जो व्यवस्था है उसे सार्वजनिक की जानी चाहिये, सुरक्षित रेडियेशन	प्रकरण में उपायुक्त राजस्व (प्रथम) नगर निगम हैरिटेज ने अपने पत्रांक 2961 दिनांक 07.03.2024 से अवगत कराया है कि कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार इण्डस टॉवर लिमिटेड कम्पनी द्वारा ऑन रोड़ साईट लैण्ड, नीयर खड्डा पार्क, जवाहर नगर जयपुर में मोबाईल टॉवर स्थापित करते समय सीवर लाईन को क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। जिसके संबंध में संबंधित कम्पनी को सीवर लाईन की मरम्मत हेतु कार्यालय पत्रांक 2846, दिनांक 14.02.2024 प्रेषित किया गया। मोबाईल टॉवर के पास निर्मित भवन की ऊचाई लगभग 08–10 मीटर हैं तथा मोबाईल टॉवर और भवन की बीच की दूरी लगभग 04 मीटर हैं। तथा मोबाईल टॉवर (GBM) की ऊचाई लगभग 30 मीटर होती हैं। मोहला सुरक्षा समिति 250 जवाहर नगर, जयपुर के पत्र के बिन्दु संख्या 12 में मोबाईल टॉवर और भवन के बीच की दूरी हेतु शिकायत की गयी हैं परन्तु DOT की गाईडलाईन अनुसार मोबाईल टॉवर और बिल्डिंग के बीच की दूरी मोबाईल टॉवर में लगे एन्टिना की संख्या और बिल्डिंग की ऊचाई एन्टिना के समान ऊंचाई के बारे मे बताया गया हैं। इण्डस टॉवर्स कम्पनी द्वारा कार्यालय को पत्र प्रस्तुत कर

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation :Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 13:48:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 6344729

☎ 0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

		लेवल कितना है, वास्तविक रेडियेशन कितना है, अगर वास्तविक रेडियेशन अधिक है तब उसे नियन्त्रित करने की क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था का किस प्रकार से पालन किया जा रहा है, यह सभी तथ्य सार्वजनिक होने चाहिये, मोबाईल टावर पर रेडियेशन की जानकारी बताने वाले उपकरण लगे होने चाहिये, नगर निगम के पास रेडियेशन सम्बन्धित विषय–विशेषज्ञ का होना चाहिये।	अवगत करवाया गया कि सीवर लाईन की मरम्मत कर दी गई है। नगर निगम हैरिटेज, जयपुर से प्राप्त जवाब के आधार पर पत्र प्रकरण में रेडियेशन संबंधित आपत्ति प्रस्तुत की है। जबकि रेडियेशन की रिपोर्ट मोबाईल टॉवर के स्थापित उपरान्त ही प्राप्त होती है। अतः समिति द्वारा प्रकरण को ड्रॉप किया जाता है।
18	कार्यालय के पत्रांक 439 दिनांक 13.03.2024 से आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर को पत्र प्रेषित।	शंकर विहार गणेश नगर विकास समिति ने निवेदन किया है कि हमारी कॉलोनी शंकर विहार–ए मे बने हुए मकान No- 22 मकान मालिक निशा मलहोत्रा के द्वारा अपने मकान कि छत पर **ऐयरटेल कम्पनी** का टावर लगवाया जा रहा है हम सभी समिति एवं कॉलोनी वासी आपसे अनुरोध करते है कि इस टावर के पास स्कूल व पूरी कालोनी बसी हुई है जहाँ पर स्कूल के छोटे–छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। इस टावर से बच्चों और कालोनी वासियों को स्वास्थ का नुकसान होने का खतरा है। अतः आपसे अनुरोध करते है कि इस टावर को जल्द से जल्द रुकवाने की कृपा करें।	प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर वर्तमानं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
19	कार्यालय के पत्रांक 552 दिनांक 09.04.2024 से आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर को पत्र प्रेषित।	ग्रीन पार्क बी विकास समिति, नांगल जैसा बोहरा झोटवाडा, ने निवेदन किया है कि हमारी ग्रीनपार्क बी नांगल जैसा बोहरा के पास स्थित कॉलोनी दुर्गा विहार नांगल जैसा बोहरा जयपुर में स्थित 'प्लाट नं. ए–7–बी पर पिछले दो–तीन दिन से रात्रि के समय में मोबाईल टॉवर लगाने का कार्य चल रहा है। हम कॉलोनी वालों ने विरोध किया तो हमारे विरोध को दरकिनार कर मोबाईल टॉवर स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। उक्त मोबाईल टॉवर को लगाने से कॉलोनीवासियों एवं आस पास मे स्थित स्कूलों के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा लोगो के स्वास्थ्य के साथ–साथ जनधन	प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय टिप्पणी आगामी बैठक से पूर्व इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 15:48:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
6844729

29

9. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, जयपुर।
10. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि अपने उपखण्ड क्षेत्र में संचालित मोबाईल टॉवर की सूची तैयार करते हुये जिन मोबाईल टॉवर नियमानुसार शुल्क बकाया है। संबंधित टेलीकॉम प्राधिकृत अधिकारी से समन्वय कर आगामी 15 दिवस में शुल्क जमा करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. उपखण्ड अधिकारी चौमू एवं फागी।
12. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि0 फस्ट फ्लोर आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
13. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स इण्डस टावर लि0, जी–बिजनैस पार्क तृतीय मंजिल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर–302001
14. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स भारती हैक्साकॉन प्रा0 लि0 जयपुर।
15. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स Dy Infra&Project&Pvt.Ltd. F-2.B-4/198. Opp Chitrkoot Stadium. Jaipur.
16. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. द्वितीय तल, पूजा टॉवर, गोपालपुरा बाईपास के पास, टॉक रोड जयपुर–302018
17. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स Ascend Telecom Infrastructure Pvt. Ltd. Jaipur
18. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स M/S Tower Vision India Private Limited.407, 4th Floor, Jagdama Towers, Plot no E-3, Amrapali Circle ,Vaishali Nagar, Jaipur

RajKaj Ref
6844729

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 18:48:36 IST
Reason: Approved

☎ 0141-2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

		आदि को भयंकर खतरा उत्पन्न हो जायेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि शीघ्र ही हमारे प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही कर उक्त मोबाईल टावर का कार्य बन्द करवाने एवं इसे हटाये जाने की कृपा करे।	

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित प्राधिकृत अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के संबंध में तत्काल कार्यवाही करने के साथ–साथ लोगो मे मोबाईल टॉवर द्वारा रेडियेशन से होने वाले दुष्प्रभावों संबंधी भ्रान्तियों को दूर किये जाने हेतु अपने स्तर से अधिक से अधिक विज्ञापन के माध्यम व मल्टी मीडिया संसाधनो के माध्यम से प्रचार–प्रसार व जागरूकता अभियान का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय दूरसंचार समिति एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर उत्तर जयपुर
दिनांक:– 01/05/2024

क्रमांक / श.उ. / डीटीसी बैठक / 2024 / 583 – 600
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त पुलिस जयपुर शहर पश्चिम / पूर्व / दक्षिण / उत्तर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर।
4. आयुक्त एव प्रशासक, नगर निगम (हेरिटेज एवं ग्रेटर) जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।
6. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर शहर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ज.वि.वि.नि.लि. जयपुर शहर।
8. प्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.05.01 18:48:36 IST
Reason: Approved

W:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\68...55919.docx

(31)